स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 273, दिनांकः 05–09–2021

विभिन्न अभ्यर्थियो से मोटी रकम लेकर रेलवे व अन्य विभागों में फर्जी भर्ती कराने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 05.09.2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर पैसा लेकर फर्जी भर्ती कराने वालें गिरोहों के 02 सदस्यों को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. रजनीश कुमार उर्फ राजू पुत्र नन्हें लाल निवासी सी–251 दिनेश नगर पिलखुआ जनपद हापुड।
2. अतुल कुमार दुबे पुत्र रवि प्रताप दुबे निवासी ग्राम चौकडी पोस्ट कोडरी थाना गोला जनपद गोरखपुर।

बरामदगीः–

1– 05 अदद एटीएम कार्ड
2– 02 अद्द पैन कार्ड
3– 01 अदद वोटर आईडी कार्ड
4– 02 अदद मोबाईल फोन
5– कूटरचित नियुक्ति पत्र
6– अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज
7– 2250 रूपयें जामा तलाशी
8– 50,000/–रूपये नगद (अभ्यर्थियो से भर्ती कराने के नाम से लिए गये)

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 05.09.2021, स्थानः–पुराना रेलवे स्टेशन चौकी तिराहा से 100 मीटर पहले थाना कैण्ट, गोरखपुर समयः–22.30 बजें रात्रि

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को पश्चिम उ0प्र0 एंव पूर्वी उ0प्र0 में को–आपरेटिव बैंक, रेलवे क्लर्क व अन्य सरकारी नौकरियों में कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर मोटी रकम लेकर फर्जी रूप से भर्ती कराने वालें गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमे गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन एवं विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि पश्चिम उ0प्र0 एंव पूर्वी उ0प्र0 के कुछ लोगों द्वारा को–आपरेटिव बैंक, रेलवे क्लर्क व अन्य सरकारी नौकरियों में कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर मोटी रकम लेकर फर्जी रूप से भर्ती कराने के लिए एक गिरोह सक्रिय हैं, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर में विभिन्न अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर फर्जी तरीके से भर्ती कराने का कार्य किया जा रहा हैं। प्राप्त सूचना पर विश्वास करके दिनांक 04.09.2021 को निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 वीरबोस, कां0 प्रदीप धनकड, कां0 आकाशदीप की टीम एसटीएफ फील्ड इकाई, गोरखपुर कार्यालय पहूॅची तथा आपस में सूचनाओं को साझा किया जा रहा था कि इसी दौरान ज्ञात हुआ कि रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर मोटी रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ हैं। इस संबंध में पूर्ण जानकारी लेने के लिए एसटीएफ मेरठ व गोरखपुर टीम थाना कैण्ट जा रही थी कि रास्ते में कार्मल गर्ल्स स्कूल से सिटी मॉल जाने वाले तिराहे पर थाना कैण्ट, गोरखपुर पर पंजीकृत उक्त मुकदमें के विवेचक उ0नि0 श्री सुनील कुमार मय हमराह कर्मचारी गण के मौजूद मिले जिनसे सूचना साझा की गयी। इसी दौरान मुखबिर खास सूचना मिली कि पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले जिन लोगों की आप तलाश कर रहे हैं वह रेलवे स्टेशन से पुराने

रेलवे पुलिस चौकी तिराहे की तरफ जाने वाले रोड पर खडे हैं अगर जल्दी किया जाएं तो पकडे जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ मेरठ व गोरखपुर टीम तथा स्थानीय पुलिस रेलवे स्टेशन स्थित महाराणा प्रताप तिराहे पर आयी और अपने वाहनों को सडक किनारे खडा कर छिपते छिपाते मय मुखबिर के पुराने रेलवे चौकी तिराहे की तरफ बढे और तिराहें से 200 मीटर पहले मुखबिर ने इशारा कर बताया कि तिराहे से 50 मीटर पहले सडक के दाहिने तरफ रोड पर लगी लाईट के नीचे अटैची नीचे रखकर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं यह वही दोनों हैं। इस पर टीमों ने एकबारगी दबिश देकर उक्त दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त राजू उर्फ रजनीश उपरोक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि दो साल पहले लखनऊ मे मेरी मुलाकात हृदय नारायण मिश्रा पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्राम साधुपुरवा पोस्ट मथुरा बाजार जनपद बलरामपुर हाल पता महाराजा होटल हुसैनगंज, लखनऊ से हुई उसने बताया कि मैं लड़को की सरकारी नौकरी लगवाता हूॅ तथा फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे कमाता हूॅ। हृदय नारायण उपरोक्त ने मेरा परिचय अतुल कुमार दुबे उपरोक्त व शीतला प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 हरिहर पाठक निवासी देवलापार थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर से कराया और कहा कि मेरे लिए तुम लड़के व पैसे लाओ तो पैसे में से तुम्हे भी हिस्सा देगें। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगो को पूर्वी शहर में लाते है वहॉ पर शीतला व अतुल फर्जी कागजो पर बच्चों के हस्ताक्षर कराकर किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट आदि करा देते हैं और पैसे मिले जाते हैं तथा कुछ दिन बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पहचान पत्र दे देते हैं। आज से साल भर पहले को–आपरेटिव बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर मैने ह्दय नारायण मिश्रा उपरोक्त को 05 लाख रूपयें 08 बच्चो के दिये थे तथा प्रत्येक बच्चे पर 05 हजार रूपये मुझे मिले थे। हम लोग पश्चिमी उ0प्र0 के बच्चो को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेते हैं तथा मैडिकल कराने के नाम पर उन्हें गोरखपुर या अन्य किसी पूर्वी शहर में लाते हैं वहॉ पर शीतला व अतुल उपरोक्त आकर फर्जी कागजो पर बच्चो के हस्ताक्षर कराकर किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टैस्ट आदि करा देते हैं और पैसा मिल जाता हैं तथा कुछ दिन बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पहचान पत्र दे देते हैं। मेरी फाईल में जो कागज मिले हैं और मोबाईल में जो पत्र हैं उनका प्रयोग हम लडको को विश्वास मे लेने के लिए प्रयोग करते हैं। आज भी हम दो लडको को रेलवे में क्लर्क पद पर फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर लाये थे उन लडको से 08–08 लाख रूपये पर तय हुआ है जिसमें कुछ पैसा उन लोगो ने टोकन मनी के तौर पर पहले दिया था तथा आज 50,000/– रूपये दिये थे। अतुल ने उन लोगो के मैडिकल के कागज पर अगूॅठा लगवाया था। हमसे मिले फर्जी दस्तावेज, नियुक्ति पहचान पत्र एंव मैडिकल कॉल का पत्र मैने, अतुल कुमार दुबे, शीतल प्रसाद पाठक व ह्दय नारायण मिश्रा ने मिलकर बनाये हैं जो फर्जी नियुक्ति दिलाने व धन कमाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अतुल कुमार दुबे उपरोन्त ने पूछताछ पर बताया कि राजू उर्फ रजनीश या शीतल प्रसाद पाठक या ह्दय नारायण मिश्रा जो बच्चे लाते हैं मैं उनका मैडिकल कराता हूॅ जिसकी एवज में मुझे प्रत्येक बच्चे पर 2,000/–रूपये मिलते हैं। मेरे पास से जो कागज मिले हैं उसे हमी लोगों ने तैयार किया हैं तथा इनका प्रयोग नये अभ्यर्थियो को दिखाकर विश्वास में लेने के लिए करते हैं, हम लोग पहले भी नौकरी लगवा चुके हैं। मेरे पास से लिफाफे में जो पैसा मिला हैं वो आज रेलवे में क्लर्क पद पर नियुक्ति कराने आये लडको के हैं तथा ये पैकेट ले जाकर शीतल प्रसाद पाठक व ह्दय नारायण मिश्रा को देने थे इसमें से मुझे मेरा हिस्सा मिल जाता तथा शेष वह रख लेते। मौके पर मौजूद थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर के उ0नि0 श्री सुनील कुमार ने बताया कि थाना कैण्ट पर जो मुकदमा लिखा हैं उसके ये वांछित अभियुक्त हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना–कैण्ट जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 589/2021 धारा 406/420 भादवि पंजीकृत हैं, जिसमें धारा 467/468 भादवि की बढोत्तरी कर अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।